




न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० म्याडियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला



नियरानी 2538-II-15

C.F. Rs. 40/-

- 1- बलराम सिंह ॥ सभी के पिता श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम माजन,
- 2- नागेन्द्र सिंह ॥ तहसील जवा, जिला रीवा म०प्र०,
- 3- रत्नाकर सिंह ॥
- 4- गुरुरतन सिंह ॥
- 5- तारा सिंह पत्नी संतोष सिंह, :----- निगरानी कत गिण

बनाम

भगवती सिंह पिता जयमंगल सिंह, साकि माजन, तहसील जवा, जिला रीवा

म०प्र० -

:----- गैर निगरानी कत

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व

संहिता 1959 ई. ।

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील

त्योथर, जिला रीवा म०प्र०, आदेश दिनांक

29.6.2015, एवं प. क्र. 95/अ-27/अपील/12-13,

=====

243  
27/15

श्री. अशोक सिन्धी  
द्वारा आज दिनांक 07-07-15 के  
प्रस्तुत किया

क्रमांक.....  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक..... को प्राप्त

कोर्ट  
म्याडियर,  
राजस्व

संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

यह कि ग्राम माजन की भूमि नम्बर 13, 17, 18, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 36/109, 15/110, 112, कुल 38, कुमला रकवा 39. एकड़ का बटवारा नामांतरण दिनांक 30.6.05 को पंजी क्र. 2 एवं 3 के अनुसार


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2538-II/15

जिला-रीवा

बलराम सिंह/भगवती सिंह

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः साहेता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

